(1)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर, खण्डपीठ भोपाल
मध्यप्रदेश

अपील-3449/2018/सीहोर/स्टांपअधि

अपील कमांक /2018

राजेन्द्र सोनी आत्मज स्वर्गीय पन्नालाल सोनी,
आयु 55 वर्ष, निवासी भोपाल रोड़ मातृछाया भवन
नसरूल्लागंज, हाल मुकाम मिलन मेरिज गार्डन के पास
नसरूल्लागंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश ....अपीलार्थी

विरूद्ध

1–उप पंजीयक महोदय,
नसरूल्लागंज जिला सीहोर मध्यप्रदेश
2–मध्यप्रदेश राज्य,
व्दारा जिलाधीश महोदय,सीहोर
जिला सीहोर मध्यप्रदेश ....प्रतिअपीलार्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 47 क (4)भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899

श्रीमान जी,

अपीलार्थी माननीय अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर आफ स्टाम्पस एवम जिला पंजीयक सीहोर जिला सीहोर के व्दारा प्रकरण कमांक 103/बी–103/ धारा–33/ 2016–17 मध्यप्रदेश शासन बनाम सुरेशकुमार सोनी बगैरा मे पारित आदेश दिनांक 07/4/2017 एवम माननीय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के यहॉ से निर्णीत अपील प्रकरण कमांक 155/अपील /2015–16 मे पारित आलौच्य आदेश दिनांक 12/02/2018 से असंतुष्ट एवम दुखी होकर निम्नलिखित वेधानिक तथ्यो एवम आधारो पर यह अपील सादर प्रस्तुत करता है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य

1– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण अनावेदकगण के व्दारा इस प्रकार है कि अपीलार्थी के भाई सुरेशकुमार सोनी व्दारा भूमि सर्वे कमांक 165/3/1/1/2 रक़बा 0–25 एकड़ एवम सर्वे कमांक 165/3/1/1/2

निरन्तर..................2

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-3449/2018/सीहोर/स्टाम्प अधि.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-5-2019	अपीलार्थी की ओर से श्री एस.के. बाजपेयी एवं श्री मुकेश बेलापुरकर, अभिभाषक उपस्थित । प्रत्यर्थीगण शासन की ओर से श्री राजीव शर्मा, शासकीय अभिभाषक उपस्थित । अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया गया । अतः प्रकरण अपीलार्थी अभिभाषक के अनुरोध पर समाप्त किया जाता है । अध्यक्ष	